अपील प्राधिकारी-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-के अंतर्गत

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

एस.सी.ओ. 5-10, सेक्टर -16ए फरीदाबाद, पिन:121002

अपील पत्र दिनांक:13.05.2022

संदर्भ सं0: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./PMSTL/Meerut/ **दिनांक:**03.06.2022

लोक प्राधिकारी का नाम : **पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड, मेरठ-250001**

<u>आदेश</u>

आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022 जो कि **श्री धर्मेंद्र सिंह एड्वोकेट, सी. ओ. आफिस के बराबर में तहसील कम्पाउंड गढ (हापुड)** से पोस्टल ऑर्डर न. 56F 937234 के साथ प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी चाही है ।

नियम 19(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा अपने अपील पत्र दिनांक 13.05.2022 (प्राप्ति दिनांक 19.05.2022) के माध्यम से पुन: जानकारी देने के लिए आग्रह किया है । इस सम्बंध में अपील पत्र मिलने के उप्रांत सम्बंधित सी. पी. आई. ओ को निर्देशित किया गया कि आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 के नियमोनुसार अपीलार्थी द्वारा आ. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022 के अनुसार बिंदुवार जानकारी दी जाये ।

अब, अधोहस्ताक्षरी के दिशानिर्देशानुसार श्री ए अहमद, सी. पी. आई ओ, **पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड, मेरठ-250001** ने अपने पत्र संदर्भ संख्या:पी.एम.एस.टी.एल/ आर.टी.आई./2022/1738 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा आर. टी. आई. अधिनियमानुसार बिंदुवार जानकारी दे दी है । अत: आपके अपील पत्र दिनांक 13.05.2022 की पालना एवं निस्तारण होने के उप्रांत आपके अपील प्रार्थना पत्र को बंद (disposed) किया जाता है ।

[ए. के. मिश्रा]
कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे .I एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
इ-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1.श्री धर्मेंद्र सिंह एड्वोकेट, सी. ओ. आफिस के बराबर में तहसील कम्पाउंड गढ (हापुड) (मो. न.8755811110) : आपके अपील पत्र दिनांक 13.05.2022, पोस्टल ऑर्डर न. 56F 937234 के संदर्भ में ।

2.श्री ए अहमद, सी. पी. आई ओ, पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड, मेरठ-250001: सूचना एवं रिकार्ड हेतु ।

3.श्री राजेश वी., मुख्य महाप्रबंधक (पी .ई .एस .एम्/परियोजना) एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड उ.क्षे.I: सूचना हेतु ।

कार्यालय : प्लॉट नं0 1, पॉकेट-एन, गंगानगर, मेरठ-250001 (उ0 प्र0) / Office : Plot No. 1, Pocket-N, Ganga Nagar, Meerut-250001 (UP). Ph. : 0121-7962557
CIN :U40106DL2019GOI351476

संदर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई./2022 /1738 दिनांक :25.05.2022

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र सिंह
सी ओ ऑफिस के बराबर में, तहसील- गढ़मुक्तेश्वर
जिला - हापुड़ (उ०प्र०)

विषय : जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आपके अपील पत्र दिनाँक 13.04.2022 (स्पीड पोस्ट दिनांक 13.05.2022 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके अपील पत्र दिनांक 13.04.2022 (स्पीड पोस्ट 13.05.2022) जो कि प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में दिनांक 19.05.2022 को प्राप्त हुआ । अपील पत्र के माध्यम से आपने अपने आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022 जो कि पोस्टल ऑर्डर न. 56F 937234 के साथ भेजा है, के अनुसार बिंदुवार जानकारी चाही है । इस अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी के दिशानिर्देशानुसार बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न.	बिंदु द्वारा मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गई जानकारी
1	यह की मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन 400 के०वी० लाइन निर्माण हेतु टावर लगाने में कितने पेड़ जैसे आम, नीम, शीशम, सागौन, खैर आदि प्रतिबंधित पेड़ (कटाव हेतु) आये जिन्हें काटने की परमिशन वन विभाग से ली गयी उनके स्वामी कृषक का नाम व् खसरा नंबर बताने का कष्ट करें।	उक्त लाइन में टावर निर्माण हेतु प्रतिबंधित पेड़ जैसे आम, नीम, शीशम, सागौन, खैर आदि जिन्हें काटने की परमिशन वन विभाग द्वारा ली गयी है उनका स्वामित्व वन विभाग के पास ही है। तथा उन वृक्षों को वन विभाग द्वारा ही काटा जायेगा। इन पेड़ों की कुल संख्या 170 है।
2	यह की वर्तमान में कितने प्रतिबंधित पेड़ लाइन के नीचे व् ROW के अंतर्गत आते हैं जिन्हें काटने हेतु	ROW के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधित पेड़ जिन्हें काटने हेतु परमिशन का आवेदन हमारे

	परमिशन का आवेदन आपके द्वारा किया गया है उनके स्वामी के नाम व् खसरा नंबर और संख्या बताने का कष्ट करें।	द्वारा किया गया है का स्वामित्व वन विभाग के पास ही है तथा इसकी जानकारी भी उन्ही के पास है। हमारे आग्रह पर वन विभाग द्वारा इसकी सूचि तैयार की गयी है। इन पेड़ों की कुल संख्या 170 है।
3	यह की कितने पेड़ पॉप्लर यूकेलिप्टस बकायन आदि अप्रतिबंधित पेड़ जो लाइन निर्माण हेतु टावर लगाने में काट चुके हैं या अब ROW में खड़े हैं उनके स्वामी का नाम , संख्या और खसरा नंबर और संख्या बताने का कष्ट करें।	लाइन के ROW में आने वाले अप्रतिबंधित पेड़ों की सूचि विस्तृत है। इन पेड़ों की कुल संख्या लगभग 3100 है। सभी पेड़ों को पूर्ण रूप से काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। काटे जाने वाले पेड़ों का आंकलन किया जा रहा है। लेकिन मांगी गई निजि जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1)(g) and (j) के तहत नही दे सकते ।
4	यह की अप्रतिबंधित पेड़ काटने हेतु जो परमिशन वन विभाग से ली गयी है उसकी प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	अप्रतिबंधित पेड़ काटने की कोई परमिशन वन विभाग द्वारा नहीं ली जाती है । उक्त पेड़ किसान द्वारा कटवा लिए जाते हैं। हमारी जानकारी में अप्रतिबंधित पेड़ों को काटने के लिए किसान को कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है।
5	यह की लाइन निर्माण हेतु वृक्षों को काटने के लिए कृषकों को देय मुआवजे की सूचि किस आधार पर बनायीं जाती है सूचि का प्रारूप आधार (बनाने का) प्रदान करने का कष्ट करें।	लाइन निर्माण हेतु वृक्षों को काटने के लिए कृषकों को देय मुआवजे की सूचि वन विभाग से ली गयी अनुसूचित दरों के आधार पर बनायीं जाती है।
6	यह की यदि कृषक को भूमि में खड़े प्रतिबंधित पेड़ अपने बिना किसी परमिशन के कटवाकर टावर और लाइन का निर्माण किया है तो विद्युत अधिनियम या शासन द्वारा आपको ऐसा करने की जो शक्ति प्राप्त है उस शक्ति पत्र / आदेश की प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	हमारे द्वारा कृषक की भूमि पर खड़े किसी प्रतिबंधित पेड़ को नहीं काटा गया है ।
7	यह की वर्तमान जो प्रतिबंधित पेड़ ROW के अंतर्गत खड़े हैं उन्हें विद्युत प्रवाह होने से पर्व कटवाया जायेगा।	जो प्रतिबंधित पेड़ ROW के अंतर्गत खड़े हैं उन्हें विद्युत प्रवाह होने से पर्व आवश्यकतानुसार इसके आंकलन के पश्चात कटवाया जायेगा ।

8	**यह की वर्तमान में जो प्रतिबंधित पेड़ ROW के अंतर्गत खड़े हैं उन्हें बिना कटवाए विद्युत प्रवाह कर किसानों के जीवन से खिलवाड़ किया जायेगा।**	विद्युत प्रवाह सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करके ही किया जायेगा।

धन्यवाद।

भवदीय

[ए.अहमद]

सी. ई. ओ. एवं पदनामित सी. पी.आई. ओ

पी. एम.एस.टी.एल, मेरठ

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी / श्री ए० के मिश्रा
कार्यकारी निदेशक उ० क्षे० (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पावरग्रिड
कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड उ० क्षे० । मुख्यालय SCO बे.
संख्या 5-10 सेक्टर 16A फरीदाबाद हरियाणा 121002

(1) अपील करने वाले का नाम — चौ० धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट
(2) अपील करने वाले का पता — सी० ओ० आफिस के बराबर मे तहसील कम्पाउन्ड गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)
(3) लोक सूचना अधिकारी का नाम — श्रीमान सी० ई० ओ० महोदय
(4) लोक सूचना अधिकारी का पता — पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड प्लाट न० 1 पार्कर एन्क० गंगानगर मेरठ
(5) लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देने की तिथि — 14/03/2022
(6) सूचना हेतु समय — 14/04/2022
(7) अपील का आधार —
(अ) क्या निर्धारित समय मे सूचना प्राप्त नही हुई।
कोई सूचना न दिये जाना
(ब) क्या लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं।
कोई सूचना न मिलने के कारण सन्तुष्ट / असंतुष्ट का प्रश्न ही नही
(स) अपील का आधार
कोई सूचना उपलब्ध न कराया जाना
(8) अपील दाखिल करने हेतु समय — 14/05/2022
(9) माँगी गयी सूचना का विवरण — (1) प्रार्थना पत्र 14/03/22 की प्रति
(2) रजिस्ट्री रशीद की प्रति

दिनाँक
13/4/22

प्रार्थी / अपीलार्थी
Singhal
चौ० धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट
सी० ओ० आफिस के बराबर मे
तहसील कम्पाउन्ड गढ़
जनपद हापुड़
Mob No. 8755811110

Singhal
CH. DHARMENDRA SINGH
Advocate
Reg. No.: U.P. 08321/09
Civil Court, Garhmukteshwar (Hapur)
Mob.: 8755811110

प्रेषक — चौ० धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट, सी० ओ० आफिस के बराबर में तहसील कम्पाउन्ड गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़

प्रेषित — श्रीमान जन सूचना अधिकारी / श्रीमान सी०ई०ओ० पावर ग्रिड गैरह सिम्भावली ट्रांसमिशन लि० प्लाट नं० 1 .. पार्क ट्रस्ट डांगानगर गैरह —

विषय — जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र —

कृपया मुझे गैरह सिम्भावली ट्रांसमिशन 400 के०वी० लाईन के निर्माण के समय टावरों और R.O.W. के अन्तर्गत आये पेड़ों के सम्बन्ध में निम्न सूचना / जानकारी / उपलब्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लिपि समयावधि के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) यह कि गैरह सिम्भावली ट्रांसमिशन 400 के०वी० लाईन निर्माण हेतु टावर लगाने में कितने पेड़ जैसे आम, नीम, शीशम, सागौन, खैर आदि प्रतिबन्धित पेड़ (काटने हेतु) आये जिन्हें काटने की परमीशन वन विभाग से ली गयी उनके स्वामी कृषक का नाम और खसरा नम्बर बताने का कष्ट करें।

(2) यह कि वर्तमान में कितने प्रतिबन्धित पेड़ लाईन के नीचे और R.O.W. के अन्तर्गत आते हैं जिन्हें काटने हेतु परमीशन का आवेदन आपके द्वारा किया गया है उनके स्वामी के नाम और खसरा नं० और संख्या बताने का कष्ट करें।

(3) यह कि कितने पेड़ यूकेलिप्टस पोपुलर सफेदा [illegible] लकड़ी आदि अप्रतिबन्धित पेड़ जो लाईन निर्माण हेतु टावर लगाने में कट चुके हैं या अब R.O.W. में खड़े हैं उनके स्वामी का नाम, संख्या और खसरा नं० बताने का कष्ट करें।

(4) यह कि प्रतिबन्धित पेड़ काटने हेतु जो परमीशन वन विभाग से ली गयी है उसकी प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।

(5) यह कि लाईन निर्माण हेतु वृक्षों को काटने के लिए कृषकों को देय मुआवजों की सूची किस आधार पर बनायी जाती है उसकी प्रारूप / आधार (बनाने का) प्रदान करने का कष्ट करें।

(6) यह कि यदि कृषकों की भूमि में खड़े प्रतिबन्धित पेड़ बगैर किसी परमीशन के कटवाकर टावर और लाईन का निर्माण किया गया तो विद्युत अधिनियम या शासन द्वारा आपको ऐसा करने की शक्ति प्राप्त है उस शक्ति पत्र / आदेश की प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।

(7) यह कि वर्तमान जो प्रतिबन्धित पेड़ R.O.W. के अन्तर्गत खड़े हैं उन्हें विद्युत प्रवाह होने से पूर्व कटवाया जायेगा।

(8) यह कि वर्तमान में जो प्रतिबन्धित पेड़ R.O.W. के अन्तर्गत खड़े हैं उन्हें बिना कटवाये विद्युत प्रवाह कर किसानों के जीवन से खिलवाड़ किया जायेगा।

अत: श्रीमान जी से सानुरोध प्रार्थना है कि उक्त सूचना / जानकारी / उपलब्ध दस्तावेज प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक 14/03/2022

सूचना देय शुल्क 10 रु० का आई०पी०ओ० 56F 937234 साथ संलग्न है।

प्रार्थी [illegible]
चौ० धर्मेन्द्र सिंह एडवोकेट
सी० ओ० आफिस के बराबर में
तहसील कम्पाउन्ड गढ़ (हापुड़)
मोब० नं० 8755811110

RU032253947IN IVR:8285032253947
RL GARH TOWN SO <245205>
Counter No:1,14/03/2022,12:30
To:C E O PAWAR G,GANGANAGAR
PIN:250001, Meerut Cantt HO
From:CH DHARMEND,GARH
Wt:10gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU032253828IN IVR:8205032253828
RL GARH TOWN SO <245205>
Counter No:1,14/03/2022,12:30
To:C E O PAWARGT,GANGANAGAR
PIN:250001, Meerut Cantt HO
From:CH DHARMEND,GARH
Wt:[illegible]
Amt:[illegible](Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU032253709IN IVR:8205032253709
RL GARH TOWN SO <245205>
Counter No:1,14/03/2022,12:30
To:C E O PAWAR G,GANGANAGAR
PIN:250001, Meerut Cantt HO
From:CH DHARMEND,GARH
Wt:10gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

To, श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी /
श्रीमान ए.के. गुप्ता कार्यकारी निदेशक
उ.क्षे. पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया
लि- उ.क्षे. मुख्यालय S.C.O. संख्या 5-10
सेक्टर 16A फरीदाबाद हरियाणा
121002

633

19 MAY 2022

RU331100948IN

प्रेषक - धर्मेन्द्र सिंह
पुत्र श्री ... ग्राम ... पोस्ट
तहसील ... हापुड़
मो. 8755811110